संख्या: 56/2020/2015/12-2-2020-14/16 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1760/12-2-2020-14/2016, दिनांक 26 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या-1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-1987/12-2-2020-14/2016 टी0सी0, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त इमेजरी के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-

3. दिनांक 01 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2020 तक फसल अवशेष जलाने की 984 घटनायें प्रकाश में आयीं हैं, जबकि इसी अवधि में वर्ष 2019 में 1405 घटनायें घटित हुई थीं। यद्यपि घटनाओं की संख्या में कुछ कमी हुई है, परन्तु फसल एवं अन्य अवशेष जलाये जाने की घटनायें घटित होना चिन्ताजनक है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने प्रदेश सरकार जवाबदेह है।

4. दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को फसल एवं अन्य अपशिष्ट जलाये जाने की 134 घटनायें हुई हैं जो अब तक की सर्वाधिक हैं। इसमें अलीगढ-03, प्रयागराज-02, औरैया-03, आजमगढ-03, बहराइच-08, बलरामपुर-07, बरेली-05, बस्ती-02, बुलन्दशहर-04, देवरिया-04, फतेहपुर-06, गोरखपुर-02, हरदोई-05, झांसी-03, कन्नौज-02, कानपुर-09,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कानपुर देहात-02, खीरी-04, कुशीनगर-03, लखनऊ-03, मथुरा-10, रामपुर-11, शाहजहॉपुर-05, सहारनपुर-02, श्रावस्ती-03, सीतापुर-03 एवं उन्नाव-02 जनपदों में फसल एवं अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनायें हुई हैं।

5. उक्त में अलीगढ, मथुरा, सहारनपुर, बहराइच, फतेहपुर एवं हरदोई में जलाने की घटनायें नियमित तौर पर घटित हो रही हैं। इन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। अत: इन जनपदों में विशेष ध्यान रखा जाय।

6. सामान्यत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में धान की कटाई का कार्य समाप्त हो चुका है एवं धान की कटाई अब राज्य के मध्य, पूवी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रारम्भ हो गई है तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की घटनाओं से भी यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में भी फसल अवशेष जलाने की घटनायें प्रारम्भ हो गई हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में कृषकों के मध्य उचित प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता का कार्यक्रम अभी पर्याप्त स्तर का नहीं हैं। यहॉ पर प्रवर्तन की कार्यवाही तत्काल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में घटनाओं पर रोक लग सके। इन क्षेत्रों पर अब विशेष ध्यान दिया जाय। वर्ष 2019 की घटनाओं के विश्लेषण से भी यह स्पष्ट है कि नवम्बर माह में इस क्षेत्र में ज्यादातर घटनायें घटित हुई हैं।

7. कृषि विभाग द्वारा सहकारी समितियों, गन्ना समितियों तथा पंचायतों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस हेतु 80 प्रतिशत की धनराशि भी कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है, परन्तु अभी तक वाराणसी, बांदा, गाजीपुर एवं सम्भल में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना शून्य है तथा गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, रामपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हापुड, मथुरा, बदायूँ, बिजनौर, प्रतापगढ, झांसी, जालौन, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बलिया, हरदोई, रायबरेली एवं बाराबंकी में फार्म मशीनरी बैंक स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। कृपया यहॉ पर सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर फार्म मशीनरी बैंक स्थापना का कार्य तत्काल पूर्ण करायें।

8. निराश्रित गौशालाओं में अभी तक 24461 मी0 टन की पराली पहुंचाई गयी है, इसमें मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हाथरस, बदायूँ, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर, प्रतापगढ, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, आजमगढ, मऊ, बलिया एवं रायबरेली में शून्य मात्रा में पराली भेजी गई।

उक्त के अतिरिक्त मथुरा, अलीगढ जनपदों को छोडकर अन्य जनपदों द्वारा अत्यन्त अल्प मात्रा में पराली गौशालाओं को भेजी गयी है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अपने जनपद में पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दें कि कृषकों के खेतों से पराली ढुलान कर गौशालाओं में पहुंचायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उक्त एवं पूर्व प्रसारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें, जिससे प्रदेश में फसल एवं अन्य अपशिष्ट जलने की घटनाओं पर रोकथाम लगे। मुझे आशा है कि आप लोगों के प्रयास से जलने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लग सकेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 56/2020/2015(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।